

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-01042026-271488
SG-DL-E-01042026-271488असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92]	दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2026/ चैत्र 9, 1948	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 520
No. 92]	DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/ CHAITRA 9, 1948	[N. C. T. D. No. 520

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पंजीयक सहकारी समितियों का कार्यालय

(बैंकिंग शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 17 मार्च, 2026

फा.सं. एआर/बीकेजी/आरसीएस/107730075/21-22/3087.—दिल्ली भूमि राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्या 12) की धारा 7, उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, 1901 (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित) की धारा 15 तथा पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित) की धारा 27 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल एतद् द्वारा दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 2003 के अंतर्गत पंजीकृत किसी भी सहकारी बैंक और सहकारी समितियों के अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत भू-राजस्व के बकाया के रूप में देय राशि की वसूली के प्रयोजनार्थ प्रदत्त सहायक कलेक्टर ग्रेड-I/ II की शक्तियाँ वापस लेते हैं।

यह अधिसूचना ऐसे अधिक्रमण की तिथि से पूर्व की गई किसी कार्रवाई या चूक के अलावा इस संबंध में जारी की गई समस्त पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
पांडुरंग के पोल, आईएएस, सचिव, (सहकारिता)

OFFICE OF THE REGISTRAR CO-OPERATIVE SOCIETIES

(Banking Branch)

NOTIFICATION

Delhi, the 17th March, 2026

F. No. AR/BKG/RCS/107730075/21-22/3087.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954), Section 15 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (as extended to the National Capital Territory of Delhi), and clause (b) of sub-section (1) of Section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (as extended to the National Capital Territory of Delhi), the Hon'ble Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby withdraws the powers of Assistant Collector Grade-I/II, conferred upon officials of any Co-operative Banks and Co-operative Societies registered under the Delhi Co-operative Societies Act, 2003, for the purpose of recovery of dues as arrears of land revenue under the said Act.

This Notification shall supersede all previous notifications issued in this regard, save in respect of any action taken or omission committed prior to the date of such supersession.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
PANDURANG K POLE, IAS, Secy., (Cooperation)